दिनांक 22.03.2024 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

# भिलाई निगम के करो का भुगतान आनलाईन कर सकते है

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र के करदाताओ के लिए आनलाईन टैक्स भुगतान की सुविधा प्रदान किया है, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में संपादित किया जा सकता है आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने भिलाई निगम क्षेत्र के संपत्तिकर, जलकर, भू-भाटक एवं दुकान किराया की राशि भुगतान के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में वेबसाईट लाॅच किये है। ताकि भिलाई के करादाता आसानी से घर बैठे अपने टैक्स राशि का भुगतान कर सकें निगम की वेबसाईट https:/Chattishgarhmunicipal.com में संपत्तिकर बटन पर क्लीक करने पर संपत्तिकर में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आयेगा, ओटीपी डालने पर संपत्तिकर का विवरण, डिमांड नोट आदि की जानकारी प्राप्त होगी। भुगतान में क्लीक करने पर विकल्प के रूप में क्रेडिट, डेबिट, नेटबैंकिग, यूपीआई पूछा जायेगा जिस पर क्लीक करने पर भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। साथ ही वेबसाईट से ही भुगतान की रसीद जनरेट होगी, जिसे भवन मालिक प्रिंटकर सुरक्षित रख सकते है। इसके अलावा हेल्प लाईन नम्बर 9153986401 में काॅल करके अथवा व्हाटस्अप के माध्यम से भी भवन स्वामी निगम के देय करो की जानकारी प्राप्त कर सकते है। निगम द्वारा भी सम्पत्तिकर विभाग में भवन मालिक के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. से करो की जानकारी भेजी जा रही है।

गौरतलब है कि 31 मार्च के पूर्व नागरिक अपने आवासीय, व्यावसायिक भवनों के संपत्तिकर सहित निगम के अन्य देय कर राशि को जमा करके 1 अप्रेल से लगने वाले 18 प्रतिशत अधिभार तथा एक हजार रूपये शस्ति शुल्क की राशि से बच सकते है।